

M.A. II Sem IV

History EC - 3 (C)

Socio-Economic History of Modern India

डा० भीमराव अम्बेडकर एवं दलित आंदोलन

दलित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द 'दल' से हुई है, जिसका अर्थ है नीड़ना, टिसरी करना और कुचलना। संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश और मानव हिन्दी शब्दकोश में दलित का अर्थ है, जिसका कलन हुआ है, ढकाया गया है, मुचला गया है अथवा जिससे पत्तपत्ते या कढ़ते नहीं किया गया है और खरब या नखर दिया है।

डा० भीमराव रामराव अम्बेडकर मिस्र जावियों के उद्योग के लिए एक बर्मिगोडा बनकर उभरे। इनका जन्म महाराष्ट्र के मही नामक स्थान में 14 अप्रैल 1891 को महार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सखपाल तथा माता का नाम हीमती मीनाबाई था। उनके पूर्वजों के गाँव का नाम अम्बावाद था। इसी कारण उन्होंने अपने नाम के साथ 'अम्बेडकर' उपनाम स्वीकार कर लिया।

उन्होंने शीघ्र ही समाज की अपने अस्तित्व तथा सम्मान हेतु लड़कारा। उनका मानना था कि व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा है, जबकि उनके पीछे सामाजिक स्वीकृति है। यदि मौलिक अधिकारों का समुदाय द्वारा विरोध

होता है तो कोई भी कानून, थपल्य और संसद उनकी रक्षा नहीं कर सकते। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थीं। वे सामाजिक समानता, मौलिक अधिकार, मानवीय न्याय, समाजवाद और देश की एकता के लिए संघर्षरत हैं। उन्हें भारतीय संविधान का पीछा और अपनी कहा जाता है। वे असुप्रश्यता के खिलाफ थे क्योंकि इससे भारतीय समाज की एकता प्रभावित होती थी।

सन् 1920 में उन्होंने "दि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कैडरेजान" की स्थापना की। जुलाई 1924 में बंबई में एक संस्था 'बहिष्कृत विचरणीय समाज' बनाई जिसका उद्देश्य असुप्रश्य लोगों की नैतिक और मौलिक उन्नति करना था।

सन् 1930 ई में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया तथा अदुर्गों के लिए अलग महाविद्यालय मांगा। उनकी लड़न में हुई गीतों गोलमेज सम्मेलन (1930-32) में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया।

18 अगस्त 1932 ई की जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने साम्प्रदायिक निर्णय

का प्रस्ताव दिया जो दलित वर्ग के लिए शिक्षाओं से निरत मानकर अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान किया गया।

महात्मा गांधी ने इसपर आपत्तित्व जताते हुए भारत सचिव सर सेमुअल होर को पत्र लिखा लेकिन उन्हें निराशा मिली। अतः 20 सितम्बर 1932 से वे आन्दोलन आन्दोलन पर बैठ गए। अतः भारतीय लोगों ने समझौते के आधार पर समाज को सुलझाने का प्रयास किया। फलतः मीहन मलवीय की अध्यक्षता में पुना में वेंकम कुलार्ड गई। अगले दस दिन नेता डी. अम्बेडकर, डी. राजेन्द्र प्रसाद एवं राम एण्ड राजा के प्रयत्नों से समझौता हुआ। यह समझौता 'पुना पैक्ट' या 'पुना समझौता' के नाम से विख्यात है। इस समझौते को महात्मा गांधी और डी. अम्बेडकर ने अपनी स्वीकृति दे दी। दिनांक 26 सितम्बर 1932 को एस्वावर हुए। पुना समझौते के द्वारा हरिजनों के लिए प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दी गई और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया।

एन.टी. वेंकर अम्बेडकर ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अल्प स्वतंत्रता की मांग का विरोध किया ताकि अंग्रेजी राज्य में दलित वर्ग के हितों को रक्षा हो सके।

अप्रैल 1942 में उन्होंने आनुसूचित जातीय संघ (Scheduled Caste Federation) का गठन किया।
 यह आन्दोलन भारतीय दल के रूप में किया।
 वे हिन्दू कोडबिल के प्रबल समर्थक थे।
 विद्या मेहता की हैसियत से 1948 में संसद में उन्होंने हिन्दू कोडबिल प्रस्तुत किया। इसके द्वारा यह प्रविष्ट किया गया था कि विवाह के लिए जाति निर्धारित मापदंड नहीं है, महिलाओं की संपत्ति के अधिकार एवं उत्तराधिकार अधिकारों को मान्यता दी गई जो महिला समाजिक प्रगति का द्योतक था।

समाज सुधार आंदोलन, स्वतन्त्रतापूर्वक

कानून, उदार शिक्षा तथा अन्य अनुसूचित परिस्थितियों ने दलित वर्ग में चेतना का जागृत कर दिया। (का फलतः अपनी स्थिति में सुधार के लिए प्रयत्न करने लगे, कई ऐसे लोग आगे बढ़े जो नेतृत्व बला में सक्षम थे।

जैसे, जस्टिस आन्दोलन के नेता श्री ० एन० मुदलियार, श्री एम० नैयर, श्री ० व्यागराज। आत्मसम्मान आन्दोलन के नेता श्री ० रामास्वामी नायर और श्री ० वैरियार। श्री ० एन० अन्नादुरै, नारायण गुरु, श्री ० माधवन तथा ज्योतिराव फुले इत्यादि ने भी अपना योगदान किया।

अतः संविधान के अनुच्छेदों - 330, 332, 338, 339, 339 और 341 में उनके अधिकारों को सुरक्षित किया गया है।